

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 187 / 2017

दायरा दिनांक : 06.11.2017

उनवान

रामप्रसाद आयु 49 साल पुत्र गोपाल, जाति माली, निवासी चौकी बोरदा, तहसील बारां,
जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

.....रेस्पोंडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांट – श्री नन्द किशोर गूर्जर

अभिभाषक रेस्पोंडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 12-09-2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 18-05-2015 प्रकरण संख्या 197 / 2014 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, बारां के प्रकरण सं0 631 / 2014 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11-03-2014 से अपीलांट को ग्राम माल भैरूपुरा, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 0.20 हेक्टर, किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानते हुए 45 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 100/- रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18-05-2015 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट के द्वारा अपील के साथ धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया । न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है तथा वर्तमान अपीलांट जेल में है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । माननीय राजस्व मंडल ने ऐसे ही प्रकरण में आर. बी. जे. 2007 पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । मुताबिक शपथ पत्र के अतिक्रमी ने कब्जा छोड़ दिया गया है तथा वर्तमान में मेरा विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काशत नहीं है तथा तावान राशि जमा करवा दी है । अपीलांट दिनांक 26.10.2017 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः भुगती हुई सिविल कारावास की सजा को छोड़ कर शेष सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है । माननीय राजस्व मंडल द्वारा आर. बी. जे. 2007 पेज 644 पर प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण में कारावास के दण्ड को माफ किया गया है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, बारां अपीलांट द्वारा शपथ पत्र में कहे गये कथनों का सत्यापन कर ले । यदि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तो भुगती हुई सिविल कारावास की सजा को छोड़ कर शेष सजा में छूट दी जाती है । लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, उसके लिए कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

आदेश आज दिनांक 12.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा